

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),बिहार,पटना

सं-Estt(AU)/COVID-19/21-22/C-36

दिनांक -05.05.2021

कार्यालय आदेश

मुख्यालय के पत्रांक 192-एस्टेट/11-2020 दिनांक 19.04.2021 और पत्रांक 193-Estate /11-2020 दिनांक 01.05.2021 के आलोक में इस कार्यालय द्वारा जो कार्यालय आदेश सं-Estt(AU)/COVID-19/21-22/C-35 दिनांक 04/05/2021 द्वारा जारी किया गया था उसमें निम्न परिवर्तन किया जाता है-

- 1.कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),बिहार,पटना न्यूनतम कर्मिकों की संख्या के साथ आदेश तक कार्यरत रहेगा।
- 2.सम्बन्धित ग्रुप ऑफिसर्स /शाखा अधिकारी अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों और उनके अनुभागों के कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति को नियमित कर सकेंगे ताकि काम ससमय संपादित किया जा सके।
- 3.सभी अधिकारी और कर्मचारी जिन्हें 'वर्क फ्रॉम होम' की अनुमति दी गयी है वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा अपनी उपलब्धता बनाये रखेंगे ताकि सम्बन्धित अनुभाग /प्रक्षेत्रों का काम सुगमतापूर्वक संपादित हो सके।
- 4.शेष सभी निर्देश पूर्व में जारी कार्यालय आदेश सं-Estt.(AU)/COVID-19/21-22/C-35 दिनांक 04/05/2021 के अनुसार यथावत रहेंगे।

यह महालेखाकार के अनुमोदन द्वारा जारी है ।

NO.-Estt.(AU)/COVID-19/21-22/44-45

:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रतिलिपि प्रेषित:-

ह/-

उपमहालेखाकार(प्रशासन)

1.अपर नियंत्रक एवम महालेखापरीक्षक(पूर्वी क्षेत्र)

भारत के नियंत्रक एवम महालेखापरीक्षक का कार्यालय

9,दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,नई दिल्ली-110124

2.महानिदेशक (मुख्यालय)

भारत के नियंत्रक एवम महालेखापरीक्षक का कार्यालय

9,दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,नई दिल्ली-110124

ह/-

3.महालेखाकार (लेखापरीक्षा),बिहार ,पटना के सचिव

4.सभी ग्रुप ऑफिसर्स के सचिवालय

उपमहालेखाकार (प्रशासन)

5.उपनिदेशक /केंद्रीय प्रक्षेत्र का सचिवालय

- 6.सभी नियंत्री एएमजी/अनुभागों के वरीय लेखापरीक्षा अधिकार
- 7.वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी /एएमएस को कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8.कार्यालय आदेश की संचिका
- 9.नोटिस बोर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप।